

भवनों के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले
आवश्यक प्रपत्रों की सूची

भाग-अ

1. (I) आवेदक का नाम
 - (II) वर्तमान पता
 2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड संख्या
 3. भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)
 4. भवन का अनुमन्य उपयोग
 5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि
 - (II) परमिट संख्या
 - (III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो उस प्राविधान के विवरण के साथ अन्य संगत विवरण भी दें जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह प्रकरण स्वतः अनुमोदित प्राविधान से आच्छादित है एवं निर्धारित शर्तें पूर्ण की जा चुकी हैं।
 6. (I) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र के अनुमोदन की संख्या तथा तिथि अंकित करें
 - (II) शमन शुल्क भुगतान की तिथि/तिथियाँ एवं रसीद संख्या/संख्याएं तथा शमन मानचित्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें ।
- रसीद संख्या :
- दिनांक :

7. निर्माण की स्थिति: (निर्माणकर्ता स्वीकृत मानचित्र/शमन मानचित्र जो लागू हो, उसके अनुसार विवरण दें)

क्रमांक	प्राक्विधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया
1	2	3	4	5

- 7.1 सेट बैक (मीटर में)

- (क) सामने
(ख) पीछे
(ग) दाएं
(घ) बाएं

- 7.2 बेसमेन्ट (क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)

- 7.3 सुविधाएं (हों/नहीं में)

- (क) जल आपूर्ति (है/नहीं)
(ख) मलोट्सारण (है/नहीं)
(ग) जल निकास (है/नहीं)
(घ) विद्युत आपूर्ति (है/नहीं)
(ङ) रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (है/नहीं)
(च) सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र (500 वर्गमी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों में) (है/नहीं)

- 7.4 भवन में आन्तरिक परिवर्तन :-

- (क) भवन उपविधि के अन्तर्गत
(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो (हों/नहीं)
उसका शमन हो चुका है। (हों/नहीं)

8. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। ऐसा कोई अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भवन पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णतः प्रमाण-पत्र निर्गल किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

- 1.
- 2.
- 3.

दिनांक

आवेदन हेतु अधिकृत
आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)